राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 469 जयपुर/2004-2005

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर० एल० यादव एजुकेशनल सोसाइटी, रेनवाल की ओर, जिला जयपुर राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (चौरासी राजस्थानी अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 29 माह सितम्बर सन दो हजार चार को जयपुर में किया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं
रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1 © 2374969 2751352 2751417